बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 145363 पटना, दिनांक 11-04-2013

ग्रा0वि0- 8(थ)-128/2011

प्रेषक

अमृत लाल मीणा
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह - जिला कार्यक्रम समन्वयक
सभी उप विकास आयुक्त - सह - अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक

विषय :- मनरेगा अंतर्गत निधि प्रबंधन हेतु अतिरिक्त दिशा-निर्देश ।

संदर्भ :- विभागीय पत्रांक 10774 दिनांक 09.09.12 तथा पत्रांक 143522 दिनांक 26.03.13 |

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबध में विभागीय पत्रांक 10774 दिनांक 09.09.2012 तथा पत्रांक 143522 दिनांक 26.03.2013 का संदर्भ लिया जाय । उक्त पत्र के द्वारा मनरेगा अंतर्गत निधि प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गए थे | उपर्युक्त दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक पंचायत को उनके जनसंख्या के आधार पर तीन या पांच लाख रूपये अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जा रहे हैं । अतिदेयता के भुगतान हेतु अधिक राशी उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है |

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि कतिपय पंचायत जो मजदूरों को बडे पैमाने पर कार्य उपलब्ध करा रहे हैं अथवा इसकी क्षमता रखते हैं, को छोटे किस्तों में राशि मिलने से योजना के कार्यान्वयन में कठिनाईयां आती हैं । इससे संबंधित पंचायत अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नही कर पाते हैं । विदित है कि अप्रैल माह में व्यापक पैमाने पर खेत पोखर के निर्माण के कार्य लिये गये हैं । निधि की अनुपलब्धता इस कार्य में बाधक नही हो इसके लिये निर्णय लिया गया है कि वैसे छोटे पंचायत जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में 30 लाख से अधिक तथा बडे पंचायत जिनके द्वारा 40 लाख से अधिक की राशि व्यय की गयी है को निम्नांकित पात्रता के अनुसार राशि विमुक्त की जाय:

छोटे पंचायत (जन संख्या 8888 से कम)	6 लाख
बड़े पंचायत (जन संख्या 8888 से अधिक)	10 लाख

इस क्रम में विभागीय 143522 पत्रांक दिनांक 26.03.2013 को तदनुसार संशोधित समझा जाय ।

कृपया इसे सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

11/4/13

(अमृत लाल मीणा)
सचिव